

रामकुमार आदि बनाम बृजलाल आदि

प्रकरण सं० 50 / 2018

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

13.06.18 वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट के तहत वकील वादी श्री सुभाष कटारिया के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब करके पत्रावली दिनांक 16.07.18 को पेश हो।

(शयोसम वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना

16.7.18 घड़साना पेश। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित। दोनों ने समुक्त दस्तावेज के तलबीना एवं बंटवारा के शपथ पत्र पेश किया और बापक पत्र के अनुसार मुक्ति के बंटवारा किया जा रहा। प्रत्येक दर्जनामा के अनुसार मुक्ति के बंटवारा किया जाकर डिपॉजिट किया जा रहा है। शरीरान्त एक बापक-धर का मोर को भी बंटवारा एवं डिपॉजिट के आदेश दिए जा रहे हैं। पत्रावली इसी के तहत निर्दिष्ट मुक्त होकर जारी है।

आदेश आज दिनांक 16/7/18 को सुनिश्चित रूप से लिखित किया हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना